न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 269/2016

अनवान :

1. रफीकअहमद पुत्र रहीमबक्श जाति मुसलमान नाई निवासी वार्ड सं0 15 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. मुश्ताकअली पुत्र रहीमबक्श कोम मुसलमान नाई निवासी भादरा।
2. इकबाल पुत्र रहीमबक्श कोम मुसलमान नाई निवासी भादरा।
3. जैतुन पुत्री रहीमबक्श कोम मुसलमान नाई निवासी भादरा।
4. अमीला पुत्री रहीमबक्श कोम मुसलमान नाई निवासी भादरा।
5. बैतुल पत्नी इनायतअली कोम मुसलमान नाई निवासी भादरा।
6. समीम
7. महमुद
8. याकुब
9. नसीम

(6 से 9) पि0 इनायतअली पुत्र रहीमबक्श कोम मुसलमान नाई निवासीगण भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद कुमार कारेला : **वादी**

वकील श्री विरेन्द्र सिंह बैनीवाल : **प्रतिवादी सं0 1, 3, 4**

निर्णय **दिनांक :** 13.08.2018

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पिता, प्रतिवादी सं0 5 के ससुर व प्रतिवादी सं0 6 ता 9 के दादा के चक 7 बीएचडी के खाता सं0 26/24 में मुरबा नं0 44 के किला नं0 15/1 की 0.006 है0, किला नं0 16 की 0.253 है0 किला नं0 25 की 0.253 है0 मु0नं0 45 के किला नं0 11, 12, 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 2.030 है0 नहरी 1.941 है0, रास्ता 0.039 है0 खाला 0.050 है0 कृषि भूमि हुआ करती थी। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी मुसताकअली, इकबालहुसैन, प्रतिवादीगण सं0 5 ता 9 के पति व पिता स्व0 इनायतअली व वादी की माता नसीबन के नाम से बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी दर्ज है। वादी की माता नसीबन की मृत्यु हो चुकी है।

प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने नसीबन के नाम दर्ज भूमि में जो हिस्सा विरासतन में प्राप्त हुआ था उक्त हिस्सा की समस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2 व 5 से 9 के पति एंव पिता इनायतअली के हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था जिस पर वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का 3/4 हिस्सा

बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादीगण सं0 5 ता 9 के पति एवं पिता इनायतअली को 1/4 हिस्सा भूमि प्राप्त हो गई तथा इनायतअली के देहान्त होने पर इनायत अली का 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण सं0 5 ता 9 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी। संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के अनुसार प्राप्त हो गई जिस पर प्रतिवादीगण सं0 5 ता 9 ने अपना 1/4 हिस्सा भूमि वादी के पक्ष में तर्क कर दिया था जिस पर वादी को वादभूमि में 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त हो गई एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त हो गई। इसी अनुसार वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की कब्जा काश्त चली आ रही है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ने इकबालदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 जबाब पेश नहीं करना चाहते इसलिए जबाबदेही बन्द की गई। प्रतिवादी सं0 3 ता 9 ने जबाबदावे पेश किये।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रफीकअहमद पुत्र रहीमबक्स के सशपथ बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी 7 बीएचडी खाता सं0 26/24 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने नसीबन के नाम दर्ज भूमि में जो हिस्सा विरासतन में प्राप्त हुआ था उक्त हिस्सा की समस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2 व 5 से 9 के पति एंव पिता इनायतअली के हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर दिया इनायतअली के देहान्त होने पर इनायत अली का 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण सं0 5 ता 9 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी जिस पर प्रतिवादीगण सं0 5 ता 9 ने अपना 1/4 हिस्सा भूमि वादी के पक्ष में तर्क कर दिया था जिस पर वादी को वादभूमि में 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त हो गई एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 7 बीएचडी के राजस्व रिकार्ड में अपने भाई के वारिसान व बहनों द्वारा त्याग किये गये हक हिस्सा में हकों की घोषणा करवाकर अपने नाम दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने वाद की पुष्टि में जो प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी 7 बीएचडी खाता सं0 26/24 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1 पेश की है उसके अनुसार वादी के पक्ष में 1/5 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है एवं प्रतिवादीगण ने भी वादी के दावा का कोई खण्डन नहीं करते हुए अपने जवाब व इकबालदावा में दावा की सभी मुख्य मदों को स्वीकार किया है एवं सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 में मृतक रहीम बक्स व मृतक नसीबन पत्नि रहीम बक्स के जायज वारिसान में दो पुत्रिया जैतून, आमीना मौजूद होना व तीन पुत्र मुश्ताकअली, रफीक अहमद, इकबाल मौजूद होना व एक मृतक पुत्र ईनायतअली जिसके वारिसान में पत्नि बतूल, दो पुत्रियां शमीम, नसीम मौजूद होना व दो पुत्र महमुद, याकुब मौजूद होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

अत : वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 7 बीएचडी के खाता सं0 26/24 में मुरबा नं0 44 के किला नं0 15/1 की 0.006 है0, किला नं0 16 की 0.253 है0 किला नं0 25 की 0.253 है0 मु0नं0 45 के किला नं0 11, 12, 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 2.030 है0 नहरी 1.941 है0, रास्ता 0.039 है0 खाला 0.050 है0 कृषि भूमि में वादी 1/2 हिस्सा का तथा प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 दोनों संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं0 3 ता 9 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं है। चूंकि प्रतिवादीयागण सं0 3 व 4 ने विरासतन प्राप्त अपने हिस्सा की समस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2 व 5 से 9 के पति एंव पिता इनायतअली के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर दी एवं प्रतिवादीगण सं0 5 ता 9 के पति एवं पिता इनायतअली से विरासतन प्राप्त 1/4 हिस्सा भूमि को इनायतअली के देहान्त होने पर प्रतिवादीगण सं0 5 ता 9 ने वादी के पक्ष में तर्क कर दिया इस प्रकार त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादी के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 269/2016

अनवान :

1. रफीकअहमद पुत्र रहीमबक्श जाति मुसलमान नाई निवासी वार्ड सं0 15 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम

1. मुश्ताकअली पुत्र रहीमबक्श कोम मुसलमान नाई निवासी भादरा।
2. इकबाल पुत्र रहीमबक्श कोम मुसलमान नाई निवासी भादरा।
3. जैतुन पुत्री रहीमबक्श कोम मुसलमान नाई निवासी भादरा।
4. अमीला पुत्री रहीमबक्श कोम मुसलमान नाई निवासी भादरा।
5. बैतुल पत्नी इनायतअली कोम मुसलमान नाई निवासी भादरा।
6. समीम
7. महमुद
8. याकुब
9. नसीम

(6 से 9) पि0 इनायतअली पुत्र रहीमबक्श कोम मुसलमान नाई निवासीगण भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद कुमार कारेला एवं वकील प्रतिवादी सं0 1, 3 व 4 श्री विरेन्द्र सिंह बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 7 बीएचडी के खाता सं0 26/24 में मुरबा नं0 44 के किला नं0 15/1 की 0.006 है0, किला नं0 16 की 0.253 है0 किला नं0 25 की 0.253 है0 मु0नं0 45 के किला नं0 11, 12, 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 2.030 है0 नहरी 1.941 है0, रास्ता 0.039 है0 खाला 0.050 है0 कृषि भूमि में वादी 1/2 हिस्सा का तथा प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 दोनों संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं0 3 ता 9 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं है। चूंकि प्रतिवादीयागण सं0 3 व 4 ने विरासतन प्राप्त अपने हिस्सा की समस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2 व 5 से 9 के पति एंव पिता इनायतअली के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर दी एवं प्रतिवादीगण सं0 5 ता 9 के पति एवं पिता इनायतअली से विरासतन प्राप्त 1/4 हिस्सा भूमि को इनायतअली के देहान्त होने पर प्रतिवादीगण सं0 5 ता 9 ने वादी के पक्ष में तर्क कर दिया इस प्रकार त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादी के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.8.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़